संख्या-26 /2023/778/30-3-2023

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 25 मार्च, **2023**

विषय :- जनपद-बांदा में निर्माणाधीन ड्राइविंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (डी0टी0आई0) के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-388स0सु0/2023-04स0सु0/2018 दिनॉक 28-02-2023 एवं पत्र संख्या-1902स0सु0/2022-04स0सु0/2018, दिनांक 02-12-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 14-05-2022 एवं 03-12-2022 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निम्नवत तालिका के स्तम्भ-6 एवं 7 में अंकित जनपद-बांदा में ड्राइविंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (डी0टी0आई0) के निर्माण हेतु पूर्व स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन रू0 856.22 के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित की गयी धनराशि रू0 853.73 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं पूर्व अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 36.66 लाख एवं पुनरीक्षित आगणन के पश्चात अन्तर की धनराशि रू0 67.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 103.66 लाख (रू0 एक करोड़ तीन लाख छियासठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

कार्य का नाम	पूर्व अनुमोदित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत धनराशि	कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 14-05-2022 में अनुमोदित अवशेष धनराशि	पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित धनराशि	कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 03-12-2022 में अनुमोदन के सापेक्ष निर्गत की जाने वाली कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
जनपद-बांदा में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (डी0टी0आई0) का निर्माण।	786.73	52.48	697.59	36.66	**853.73** **(853.73 - 786.73 = 67 लाख की लागत वृद्धि)**	**103.66** **(36.66 + 67.00)** **(रू0 एक करोड़ तीन लाख छियासठ हजार मात्र)**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टयॉ, मानक एवं गुणवता की जिम्मेदारी आपकी होगी तथा यह सुनिश्चित करेगें की कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(4) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-9-426-X-2022-23, दिनांक 24 मार्च, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-26/2023/778(1)/30-3-2023, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी-बांदा।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(रेनू वर्मा)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in